

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, महोबा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) बी के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

1-संगठन का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य:-

जिला निर्वाचन कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची के तैयार कराने तथा मतदेय स्थलों की सूची को तैयार करने के कार्य के साथ साथ लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद के निर्वाचनों से संबंधित कार्य करता है।

2- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:-

निर्वाचन संबंधी समस्त शक्तियाँ भारत निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत निहित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले समस्त कार्यों का अनुश्रवण आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है।

3- विनिश्चय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम:-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम 13कक के अन्तर्गत जिलाधिकारी को पदाभिहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर नामनिर्दिष्ट किया गया है जो जिले में लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद के निर्वाचन को शान्तिपूर्वक कराने एवं अन्य कार्यों के लिये उत्तरदायी होते हैं।

4- कार्यों को संपादित करने के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानक:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गये कार्यों का समयबद्ध रूप से निस्तारण उप जिला



निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों से कराया जाता है।

5- अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

निर्वाचन संबंधी कार्यों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियम, अनुदेश, एवं निर्देशिका मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त होने पर अनुपालन किया जाता है। जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम एवं अनुदेश लागू होते हैं।

6- ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट

www.eci.gov.in पर उपलब्ध हैं।

7- किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है:-

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों यथा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतदेय स्थलों की सूची तैयार करने में जनता एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है।

8- ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण:-

-शून्य-



9- जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों की निर्देशिका:-

क्र०	नाम एवं पदनाम	निवास का पता	कार्यालय दूरभाष संख्या
1	2	3	4
1-	श्री कृष्ण कान्त तिवारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	लंघान पुरा महोबा	05281-254918 सी0यू0जी0-9454418042
2-	श्री लल्लूराम, कैशियर कम स्टोर क्लर्क/वरिष्ठ सहायक	आफिसर कालोनी भटीपुरा महोबा	05281-254918
3-	श्री सन्तोष कुमार जैन, वरिष्ठ सहायक	जारीगंज महोबा	05281-254918
4-	श्री राजेन्द्रपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक	समद नगर छतरपुर रोड महोबा	05281-254918

10- अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक :

क्र०	नाम एवं पदनाम	01 जुलाई, 2017 को निर्धारित मैट्रिक वेतन	महंगाई एवं अन्य भत्ता
1	2	3	4
1-	श्री कृष्ण कान्त तिवारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	53,600-00	शासनादेशानुसार
2-	श्री सन्तोष कुमार जैन, वरिष्ठ सहायक	53,600-00	शासनादेशानुसार
3-	श्री लल्लूराम, कैशियर कम स्टोर क्लर्क/वरिष्ठ सहायक	50,500-00	शासनादेशानुसार
4-	श्री राजेन्द्रपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक	38,100-00	शासनादेशानुसार



11—सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा छपाई , मतदाता फोटो पहचान पत्र और समय-समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों पर हुये व्ययों के देयकों के भुगतान हेतु धनराशि का आबंटन मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदत्त किया जाता है।

12—सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे:-

इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्य-कलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।

13—अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ:-

—शून्य—

14—किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों-

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध हैं।

15—सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां , जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

जिला निर्वाचन कार्यालय महोबा
समय- अपरान्ह 03 बजे से 05 बजे तक




16-लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां:-

क्र०	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पदनाम पता व मोबाइल नं०	जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, पता व मोबाइल नं०
1	2	3
1-	श्री अजय कुमार सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी महोबा 9454417534	श्री कृष्ण कान्त तिवारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय महोबा 9454418042

17-अन्य ऐसी सूचना, जो विहित की जायें-

यथासमय अपडेट किया जायेगा ।




(आनन्द कुमार)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
महोबा ।